प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 92/2023 (2023/)

1. भागचन्द पुत्र गोपाल लाल तेली
2. सांवरिया बाथरा पुत्र मोहनलाल साहू

जाति तेली निवासीगण केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

---प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार केकड़ी, तहसील केकड़ी जिला अजमेर

--अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

आदेश

दिनांक 08.06.2023

पत्रावली आज प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प गुलगांव में प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता पेश की गई। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रार्थनापत्र में आराजीयात वाके ग्राम सरसड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
382–367	182	1.09	बारानी उत्तम
	कुल किता 1	कुल रकबा 1.09 हैक्टर	

प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र अनुसार उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान में प्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज है एवं प्रार्थीगण के कब्जे काश्त स्वामित्व उपयोग उपभोग में चली आ रही है एवं प्रार्थीगण काश्त कर फसल प्राप्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात के स्थायी सीमाचिन्ह नही होने से प्रार्थीगण को आराजीयात को काश्त करने में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजीयात का नापचोप करवा कर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित करवाना चाहते है जिससे भविष्य में प्रार्थीगण को आराजीयात की सीमा को लेकर कोई बाधा उत्पन्न नही हो। प्रार्थीगण ने मोखिक रूप से अप्रार्थी को अपनी आराजीयात का सीमाज्ञान कराने हेतु निवेदन किया परन्तु कोई सुनवाई नही हुई जिससे यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त प्रार्थनापत्र में वर्णित उक्त आराजीयात की पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी दौराने केम्प मौके पर उपस्थित। पैरोकार सरकार को सुना गया। पैरोकार सरकार द्वारा अवगत कराया गया कि प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी खातेदारी में दर्ज है, राजहित प्रभावित नही होता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारान की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण, प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम सरसड़ी तहसील केकडी की जमाबन्दी के खाता संख्या नया–पुराना 382–367 में दर्ज खसरा नम्बर 182 रकबा 1.09 हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प गुलगांव में मजमे आम में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

Scanned with OKEN Scanner